भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
18.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3799 का उत्तर

रेल परियोजनाओं द्वारा परिवहन दक्षता में सुधार

3799. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल परियोजनाओं से परिवहन दक्षता और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में क्या विशिष्ट सुधार होने की उम्मीद है;

(ख) इन परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले जिलों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ा हुआ संपर्क़ किस प्रकार प्रभावित करता है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं कि इन परियोजनाओं के लाभों को आन्ध्र प्रदेश सहित संबंधित राज्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): रेल परियोजनाओं के सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेल-वार किए जाते हैं न कि राज्य-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्व, आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) का शुभारंभ किए जाने से अवसंरचनात्मक परिवहन परियोजनाओं के योजना निर्माण और निष्पादन में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण आया है। राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विभागों के बीच सहयोग के माध्यम से रेलवे, पोत परिवहन, सड़क मार्गों, दूरसंचार, पाइपलाइनों आदि जैसे अवसंरचनात्मक क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित किया है, जिससे परिवहन दक्षता, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में व्यापक सुधार हुआ है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाली संपर्कता बेहतर हुई है, परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में तेजी आई है और साथ ही तीव्र गति से योजना बनाई जा सकी है।

भारतीय रेल ने अपनी परियोजना नियोजन प्रक्रिया में गति शक्ति के सिद्धांतों को आत्मसात किया है और अब एकीकृत योजना बनाने, संभार तंत्र दक्षता में वृद्धि और सामरिक महत्व के स्थानों, सीमावर्ती क्षेत्रों, औद्योगिक समूहों, पत्तनों, खदानों, विद्युत संयंत्रों, गांवों आदि से संपर्कता स्थापित करने सहित लोगों, माल/पण्यों जैसे कृषि उत्पादों, उर्वरकों, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, चूना पत्थर आदि तथा सेवाओं की निर्बाध आवाजाही हेतु बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी-मॉडल संपर्कता अवसंरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के अंतर्गत सभी नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाओं का सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के पूर्व तट रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली 73,743 करोड़ रु. की लागत की 5,329 कि.मी. कुल लंबाई वाली 41 परियोजनाएं (17 नई लाइनें और 24 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निष्पादन के चरण में है। इनमें से 1,006 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक 24,150 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है। कार्य की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है:

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी.)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी.)	मार्च 2024 तक किया गया व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइनें	17	1935	184	5530
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	24	3394	822	18620
कुल	41	5329	1006	24150

आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	886 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2024-25	9,151 करोड़ रु. (10 गुना से अधिक)

वर्ष 2009-14 और 2014-24 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाले नए रेलपथों को कमीशन करने/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	363 कि.मी.	72.6 कि.मी. प्रति वर्ष
2014-24	1,510 कि.मी.	151 कि.मी. प्रति वर्ष (2 गुना से अधिक)

*****